कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 171, पुराना मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद–211002

संख्या–46097/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19 दिनॉक मार्च 17,2018

विज्ञप्ति

इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 38628/ दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19 दिनॉक 03–02–2018 के प्रस्तर (14) में प्रदेश की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर की फुटकर दुकानों व मॉडल शाप्स तथा थोक अनुज्ञापनों के वर्ष 2018–19 में व्यवस्थापन हेतु दी गयी समय–सारणी को इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या–43211/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19 दिनॉक 01.03.2018 द्वारा आंशिक संशोधित किया गया था तथा विज्ञप्ति संख्या 45560 /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19 दिनांक 15.03.2018 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था। इसके अतिरिक्त भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु विज्ञप्ति संख्या–43542 /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19 दिनॉक 05.03.2018 द्वारा दिनांक 19.03.2018 की तिथि निर्धारित की गयी थी। **एतद्द्वारा समय–सारणी को निम्नवत् पुनर्निर्धारित किया जाता है:–**

क्र0	प्रथम चरण	निर्धारित तिथि
1.	समस्त जनपदों में ई–लॉटरी की तिथि/समय	19–03–2018 को 11:00 बजे से
	द्वितीय चरण (समस्त जनपदों में)	
1.	उपरोक्तानुसार प्रथम चरण की ई–लॉटरी के पश्चात् अवशेष देशी/विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं मॉडल शाप्स हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/निर्धारित लाइसेंस फ़ीस पर व्यवस्थापन ई–लॉटरी प्रकिया से आवेदन पत्र की मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब के प्रकरण में प्रास्थिति, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं मॉडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन मांगने एवं ई–लॉटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि दिनॉक 21.03.2018 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ कर दिनॉक 23.03.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक और ई–लॉटरी दिनांक 26.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे होने का उल्लेख करते हुये विज्ञप्ति का समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा विभागीय व जनपद की वेबसाइट पर उनका प्रदर्शन।	21.03.2018
2.	द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनॉक 23.03.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक
3.	आवेदनों का परीक्षण	24.03.2018 से 25.03.2018 तक
4.	ई–लॉटरी की तिथि/समय	26.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे से

भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समय–सारणी:–

क्र0	विवरण	तिथि
1.	प्रदेश के समस्त जनपदों में भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी की तिथि एवं समय	21.03.2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से
2.	प्रथम नीलामी के बाद यदि दुकानें व्यवस्थित होने से शेष रह जाती हैं, तो उनका नीलामी द्वारा व्यवस्थापन	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार

Scanned by CamScanner

थोक अनुज्ञापनः–

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन के द्वितीय चरण में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापन (सी0एल0–2), विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापन (एफ0एल0–2), बियर की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापन (एफ0एल0–2बी) व एफ0एल0–2डी (अन्य देशों से आयातित मदिरा, वाइन, बियर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन) प्राप्त करने हेतु वेब पोर्टल upexciseelottery@gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	21.03.2018 को प्रातः10:00 बजे से

बॉन्ड अनुज्ञापनः–

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	वान्ड अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन के प्रथम चरण में बी0डब्लू0एफ0एल0–2ए (अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन), बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बियर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन), बी0डब्लू0एफ0एल0–2सी (अन्य राज्यों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन), बी0डब्लू0एफ0एल0–2डी (अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल0ए0बी0 की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन) प्राप्त करने हेतु समस्त संगत अभिलेखों/लाइसेंस फीस व प्रतिभूति के बैंक ड्राफ्टों के साथ कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद में आवेदन प्रस्तुत किया जाना ।	21.03.2018 को प्रातः10:00 बजे से

शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगीं। इसके अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिए जनपद के जिला आवकारी अधिकारी अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से संपर्क किया जा सकता है।

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner